

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) हनुमानगढ राजस्थान

संख्या-विशिक्ष/एन/ए/2012/मायदा/2012/728

दिनांक-21.8.2012

प्रमाणक

ज्ञानदान ग्लोबल इन्टरनेशनल स्कूल जयपुर

विषय-निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोग के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4)के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र

Handwritten signature and stamp of the District Education Officer.

आपके दिनांक 12.5.2012 के आवेदन और इस संख्या में विद्यालय के साथ प्रस्तावकों के प्रतिनिदेश से ज्ञानदान ग्लोबल इन्टरनेशनल स्कूल, रोडवाली हनुमानगढ (अवधि) का मान्यता दिनांक 21.8.2012 से दिनांक 21.8.2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा प्राथमिक से कक्षा तृतीय तक के लिये अनिवार्य प्रवेश प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिये अर्थात्

- 1. मान्यता की संशुद्धी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्यन्त मान्यता/संकेत के लिए कोई संशुद्धी विद्यमान नहीं है।
- 2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल-शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (संख्या 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक भास पड़ोस के कमबोर्ड डर्ग और आसपास के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा।
- 4. विद्यालय निशुल्क बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिवृत्त किया जाएगा।
- 5. विद्यालय/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता को किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार/विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि प्रवेश प्रदान करने के लिए, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरदायी बाधा है।

- विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-
- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक बल या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकतम किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (5) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्कता प्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकतम न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पाठ्य वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम

PRINCIPAL Mahaveer Public Sch. JAIPUR For Gyan Ganga School

Handwritten signature and date 9.8.2012.

विचार अधिनियम करने ।
समाजिक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विधिविक अपने कार्यालयों का पालन करवाये

समाजिक कर्म की किसी किसी अनुयायन विद्यालयवादी में निर्देशित नहीं करेगी ।
समाजिक अधिनियम द्वारा अधिकाधिक समाजकर्मों को उत्साह पर पालनपालन का पालन

समाजिक अधिनियम की धारा-10 में अधिकाधिक विद्यालयों में समाजिक अनुयायनों के अनुयायन अधिनियम का पालन करनेका ।

समाजिक अधिनियम की धारा-10 में समाजिक विद्यालय के मातृकी और अधिनियमों को बनाने ।
समाजिक अधिनियम की धारा अधिनियम की गई अनुयायन विद्यालयों में -

- 1. परिचय का लेख
- निर्दिष्ट क्षेत्र - 1200 वर्ग फुट
- स्वास्थ्य का क्षेत्रफल - 7500 वर्ग मीटर
- समाजिक की संख्या - 20

स्वास्थ्य-सह-संपर्क-सह-संसार कक्षा - 03
और अधिनियमों के लिए पृथक शौचालय - उपलब्ध है ।

1. सुविधा - उपलब्ध है
2. पीन पकाने के लिए एर्रोई - 1

सिंह पट्टी
समाजिक समीची / इंडिया सेंट्रल उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्ध है ।

समाजिक परिचयों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं कराई जाएगी ।

समाजिक का अन्य संरचनाओं या इंडिया स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और क्रीडा के प्रयोजन के लिए किया जाता है ।

समाजिक-समाजिक-समाजिक पंजीकरण अधिनियम 1959 के अधीन पंजीकृत किया गया है ।
समाजिक द्वारा या समाजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक द्वारा बनाया जा रहा है ।

समाजिक की किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए नहीं किया जा रहा है ।

समाजिक के संरक्षकों की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना ।

प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को भेजी जानी चाहिए ।

विद्यालय को आर्कटिक मान्यता कोड 0007 संरक्षक है । कृपया इसे नोट कर ले और इसका पालन किसी प्रकार के लिए इसका पालन करें ।

समाजिक प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निर्देशक प्राथमिक विद्यालय शौचालय / जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ़ द्वारा अधिनियम को पालन करवाये / स्थानीय प्राधिकारियों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता प्राप्त के समूह अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कनिष्ठ करने के लिए जारी किए जाएं ।

समाजिक के पंजीकरण के नदीनीकरण यदि हो को सुनिश्चित किया जाए ।

समाजिक का के अनुसार अन्य कोई बात ।

(Signature)
PRINCI
Mahaveer Pub
JAI PU

(Signature)
S. S. S. S.

For Gyandhar Global Sch

(Signature)
Principal
Gyandhar Global School

For Gyandhar Global School
(Signature)

(Signature)
Principal
Gyandhar Global School